न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 483/2024
अनवान : –

1. दिनेश कुमार पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हेमराज पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. मालाराम पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 12/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 98/32 की कुल 4.0980 हैक्ट भूमि वादी के नाम एवं रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 66/26 की कुल 6.9390 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम एवं रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के खाता स0 9/32 की कुल 3.7560 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 एवं रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 9/26 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 एवं रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 123/26 की कुल 2.240 हैक्ट हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने जमाबंदी में दर्ज हक व हिस्से के अनुसार वादग्रस्त भूमि को काश्त करते है परन्तु सेग्रीगेशन के समय नक्शा तरमीम मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार सही नही रहा है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की भौतिक स्थिति परिवर्तित कर दी गई है जिसे वादी दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है।

वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक बाहमी बंटवारा के अनुसार रेखमालिया एवं गिराजसर तहसील नोहर की भूमि मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार दर्ज करवाना चाहते है जो की निम्न प्रकार से है–

रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 [illegible] के ख0न0 84/1 की 3.7560 हैक्ट भूमि वादी के पास रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:26:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 98/32 के ख0न0 84/3 की 4.0980 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 के पास रहेगी एवं रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 9/26 के ख0न0 19/3 की 2.0240 हैक्ट दक्षिण पासा की भूमि प्रतिवादी स0 2 के पास रहेगी।

रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 66/26 के ख0न0 134/2 की 2.1480 हैक्ट भूमि वर्तमान में नक्शा के स्थान उत्तर से दक्षिण तरमीम रहेगी।

रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 66/26 के ख0न0 19/4 की 4.7910 हैक्ट भूमि तरमीम पूर्व से पश्चिम की तरफ उत्तरी पासा की भूमि रहेगी एवं रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 9/26 के ख0न0 134/1 की 2.0240 हैक्अ भूमि प्रतिवादी स0 3 के पास रहेगी व इसके पूर्व में ओमप्रकाश रहेगा एवं इसके पूर्वी पासा में हेमराज रहेगा।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर [illegible] गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत [illegible] रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 98/32 की कुल 4.0980 हैक्ट भूमि वादी के नाम एवं रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 66/26 की कुल 6.9390 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:26:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा रेख मालिया तहसील नोहर के खाता स0 9/32 की कुल 3.7560 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 एवं रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 9/26 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 एवं रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 123/26 की कुल 2.240 हैक्ट हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही सभी पक्षकार काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 9/32 के ख0न0 84/1 की 3.6560 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 98/32 के ख0न0 84/3 की 4.0980 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 9/26 के ख0न0 19/3 की 2.0240 हैक्ट दक्षिण पासा की भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी स0 1 हेमराज की रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 66/26 के ख0न0 134/2 की 2.1480 हैक्ट भूमि वर्तमान में नक्शा के स्थान उत्तर से दक्षिण तरमीम रहेगी तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 66/26 के ख0न0 19/4 की 4.7910 हैक्ट भूमि तरमीम पूर्व से पश्चिम की तरफ उत्तरी पासा की भूमि रहेगी एवं रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 9/26 के ख0न0 134/1 की 2.0240 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसके पूर्व में ओमप्रकाश रहेगा एवं इसके पूर्वी पासा में हेमराज रहेगा। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/07/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:26:58 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 483 / 2024
अनवान : –

1. दिनेश कुमार पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हेमराज पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. मालाराम पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 483 सन 2024 निर्णय दिनांक 12/7/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 9 / 32 के ख0न0 84 / 1 की 3.6560 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता स0 98 / 32 के ख0न0 84 / 3 की 4.0980 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 9 / 26 के ख0न0 19 / 3 की 2.0240 हैक्ट दक्षिण पासा की भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी स0 1 हेमराज की रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 66 / 26 के ख0न0 134 / 2 की 2.1480 हैक्ट भूमि वर्तमान में नक्शा के स्थान उत्तर से दक्षिण तरमीम रहेगी तथा रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 66 / 26 के ख0न0 19 / 4 की 4.7910 हैक्ट भूमि तरमीम पूर्व से पश्चिम की तरफ उत्तरी पासा की भूमि रहेगी एवं रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 9 / 26 के ख0न0 134 / 1 की 2.0240 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसके पूर्व में ओमप्रकाश रहेगा एवं इसके पूर्वी पासा में हेमराज रहेगा। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा तरमीम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/7/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:26:58 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर